

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

(नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद) (भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन) धन्वन्तरी भवन, मार्ग संख्या—66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली—110026 दुरभाष संख्याः 011—41681265; ई—मेलः gsp-ravdl@gov.in

प्रवेश सूचना 2026-27

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली एक वर्षीय "राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम" में प्रवेश हेतु दिनांक 25 जनवरी, 2026 (रविवार) को नई दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु तथा त्रिशूर में, उन योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सको के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कर रहा है, जिन्होंने बी.ए.एम.एस. (आयुर्वेदाचार्य)/एम.डी./एम.एस. (आयुर्वेद) की उपाधि किसी भी ऐसे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से अर्जित की हो, जो आईएमसीसी अधिनियम, 1970/एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 के तहत मान्यता प्राप्त हो। इच्छुक आवेदक पात्रता, विषय, आवेदन—प्रपत्र के निर्धारित प्रारूप, पाठ्यक्रम—विवरणिका और अन्य जानकारी हेतु इस विद्यापीठ की वेबसाइट www.ravdelhi.nic.in को देखें और विधिवत भरे हुए आवेदन—पत्र को 15 जनवरी, 2026 तक या इससे पूर्व केवल डाक/हस्तगत के माध्यम से उपर्युक्त पते पर भेजें।

निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ





RASHTRIYA AYURVEDA VIDYAPEETH

(NATIONAL ACADEMY OF AYURVEDA)

(An autonomous organization under Ministry of Ayush, Govt. of India) Dhanwantari Bhawan, Road No.66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026 Phone No.: 011- 41681265; E-mail: gsp-ravdl@gov.in

ADMISSION NOTICE 2026–27

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi (RAV) is holding a Written Test on 25th January, 2026 (Sunday) at New Delhi, Jaipur, Varanasi, Ahmedabad, Pune, Bengaluru and Thrissur for the admission in One year "Certificate Course of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV)" for the eligible Ayurveda doctors, having qualified BAMS (Ayurvedacharya)/M.D./M.S. (Ayurveda) degree from any University/College recognized under IMCC Act, 1970/NCISM Act, 2020. Interested candidates may visit the Vidyapeeth's website www.ravdelhi.nic.in for details of eligibility, subjects, prescribed format of application form, prospectus, other information etc. and send their duly filled application only through Post/by hand on above address on or before 15th January, 2026.

Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth



राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ RASHTRIYA AYURVEDA VIDYAPEETH

धन्वन्तरी भवन, मार्ग संख्या—66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली—110026 DHANWANTARI BHAWAN, ROAD NO. 66, PUNJABI BAGH (WEST), NEW DELHI- 110026 दूरभाष संख्या— (PHONE NO.) 011—41681265

एक वर्षीय सीआरएवी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन—प्रपत्र 2026—27 APPLICATION FORM FOR ONE YEAR CRAV COURSE 2026-27

कृपया अपना नवीनतम कलर पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चिपकाएं और नीचे बॉक्स में अपना हस्ताक्षर करें।

Kindly paste here your recent colour passport Photograph and Sign in the below column.

1.	परीक्षा के लिये वरीयता का केन्द्रः
	Preference for Examination Centre:
	उपलब्धता के अधीन पर, परीक्षा के लिए वरीयता का केन्द्र पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
	अभ्यर्थियों को किसी भी दो केन्द्रों का चयन करना जरूरी है। कृपया केन्द्रों की वरीयता संख्या में अर्थात् 1. 2. 3 आदि में ही दें।
	Preference will be given on first come first serve basis, subject to availability. Candidates must have to opt any two centres. Kindly give Preference of Centres only in number i.e. 1, 2, 3 etc.
(i)	नई दिल्ली (ii) जयपुर (iii) वाराणसी (iv) अहमदाबाद (v) पुणे (vi) बेंगलुरु (vii) त्रिशूर New Delhi Jaipur Varanasi Ahmedabad Pune Bengaluru Thrissur
2.	आधार नं. / Aadhar No.:
3.	पैन नं. / PAN No.:
4.	अभ्यर्थी का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में): Candidate's full Name (in Block Letters):
5.	माता का नाम (बड़े अक्षरों में): Mother's Name (in Block Letters):
•	
6.	पिता का नाम (बड़े अक्षरों में): Father's Name (in Block Letters):
7.	लिंगः पुरुष महिला अन्य
	Gender: Male Female Others
8.	वैवाहिक स्थितिः विवाहित अविवाहित
	Marital Status: Married Unmarried
9.	वर्गः सामान्य ओबीसी एससी एसटी ईडब्लूएस पीएच Category: General OBC SC ST EWS PH

10.	(a.) जन्म तिथि/Date of Birth	
	(b.) ব্যব্ন 25-01-2026 নক / Age as on 25.01.202	6(वर्ष)(महीना)(दिन)
11.	आयु सीमा में छूट: Seeking age relaxation:	हाँ नहीं Yes No
	If yes/यदि हाँ:	
	्राबीसी* एससी* एसटी* OBC* SC* ST*	पीएच स्थायी कर्मचारी** PH Govt. Service**
		ा। जो कि केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हो / which is approved only by Government of India.
(प्रायो		nt State/Central Govt. Doctor माणपत्र संबंधित सरकार से जमा करना अनिवार्य है / I his/her NOC from respective Government).
12.	वर्तमान पता (बड़े अक्षरों में)	
	(डाकघर व पिन कोड सहित)	
	Present Address (in Block Letters)	
	(State Post Office & Pin Code)	
13.	स्थायी पता (बड़े अक्षरों में)	
	(डाकघर व पिन कोड सहित)	
	(Permanent Address) (in Block Letters)	
	(State Post Office & Pin Code)	
14.	ई—मेल /E-mail:	
15.	मोबाइल नं./Mobile No.:	

16. प्राप्त शैक्षिक योग्यताओं का विवरण (प्रमाणपत्र सहित स्व-अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ)

Academic qualifications (with self attested copies of all Certificates)

क्रमांक	उत्तीर्ण परीक्षा	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने	प्राप्तांकों का
Sl.No.	Examination passed	Name of Institution/College	Board/University	का वर्ष	प्रतिशत
				Year of passing	Percentage of marks obtained
1.	माध्यमिक परीक्षा				
	Secondary Exam.				
2.	इन्टरमीडिएट परीक्षा				
	Intermediate Exam.				
3.	आयुर्वेदाचार्य				
	BAMS				
4.	स्नातकोत्तर (आयु.)				
	MD/MS (Ay.)				

17.	इन्टर्नशिप पूर्ण करने की तिथि Date of completion of Internship		
18.	चिकित्सा पंजीकरण संख्या एवं वर्ष Medical Registration Number & Year		
19.	भुगतान की विधी Mode of Payment	दिनांक Date	
	संदर्भ संख्या Transaction No.	राशि Amount	

घोषणा / Declaration

मैंने विवरणिका और आवेदनपत्र को सम्यक प्रकार से पढ़ लिया है और इसकी विषय वस्तु को समझ लिया है। इसके अलावा, यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना मेरे ज्ञान व विश्वास में पूर्णतया सही हैं और कुछ भी छुपाया अथवा मिथ्या प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए समय—समय पर निर्गत नियमों/विनियमों का पालन करने का भी आश्वासन देता/देती हूँ।

I have gone through the prospectus and also this application and I understand the contents thereof. Further, it is certified that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and belief that nothing has been concealed or misrepresented. I assure to abide by the rules and regulations of CRAV course as may be specified from time to time.

स्थान/Place:	 अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक / Date:	 Signature of Applicant

निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियाँः Self attested copies of the following documents:

क्रमांक	अपेक्षित प्रमाणपत्र / दस्तावेज	आवेदनपत्र में संलग्न प्रमाणपत्रों /
S.No.	Required certificates/documents	दस्तावेजों में सही (🗸) का निशान लगाएं
		Tick mark (✓) the enclosures attach with application form.
1.	माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र (10वीं)	•
	Secondary Examination Certificate (10 th)	
2.	इन्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाणपत्र (12वीं)	
	Intermediate Examination Certificate (12th) सभी आयुर्वेदाचार्य / एम.डी. उपाधि का प्रमाणपत्र (अस्थायी या डिग्री)	
3.	Certificate of all BAMS/MD (Provisional or Degree)	
4.	इन्टर्नशिप प्रमाणपत्र / Internship certificate	
5.	चिकित्सा पंजीकरण प्रमाणपत्र / Medical Registration certificate	
6.	निवास—स्थान के पते का प्रमाण—जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पहचान पत्र (वोटर आई.डी.) इत्यादि Address proof i.e. Passport, Driving license, Aadhaar Card, Voter I.D., etc.	
7.	अनापत्ति प्रमाणपत्र, अगर अभ्यर्थी सरकारी कार्यरत है तो No Objection Certificate, if candidate in Government service	
8.	केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जाति प्रमाण—पत्र, यदि अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) / अन्य पिछड़े वर्ग (साधन सम्पन्न वर्ग के नहीं) तो (केंद्रीय सूची) Caste certificate approved only by Government of India, if	
	ST/ SC/ Economically Weaker Sections (EWS)/OBC (Non-Creamy Layer) (Central List)	
9.	शारीरिक विकलांगता संबंधी प्रमाणपत्र Certificate of Physical Disability	
10.	आधार कार्ड की प्रतिलिपि / Copy of Aadhar Card	
11.	पैन कार्ड की प्रतिलिपि / Copy of PAN Card	
12.	भुगतान की रसीद / Payment Receipt	
13.	क्या आपने प्रवेश पत्र पर केवल व्यक्तिगत विवरण की प्रविष्टि कर आदेवन प्रपत्र के साथ संलग्न किया? Did you fill only the personal details on Admit Card and attach with Application form?	
14.	क्या आपने गूगल फार्म ऑनलाइन जमा किया? Did you fill/submit the Google Form online?	

अन्देश / Instructions:

- 1. कृपया सभी कॉलमों / क्रमांकों में दी गई विवरण की पुष्टि हेतु अभ्यर्थी / आवेदक सभी प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियां जोकि स्पष्ट, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं—प्रमाणित हों, छायाप्रतियां संलग्न करें।
 - Kindly attach clear, self-attested photocopies of all certificates supporting the information provided in each column.
- 2. कृपया अपने वर्तमान, अस्थायी एवं निवास पतों का स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र लगाएं।
 Please furnish proof of permanent and present address and nativity under self certification.
- 3. सेवारत आवेदकों को अपना आवेदनपत्र अपने विभाग/संस्था/सरकार के विभागाध्यक्ष के माध्यम् से अनापत्ति प्रमाणपत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र के साथ अग्रेषित करवाना चाहिए।
 In-service applicants should get their application forwarded through their Head of the Deptt./Instt./Govt. with N.O.C. and Character Certificate.
- 4. प्रवेश परीक्षा पत्र केवल पात्र अभ्यर्थी को ही भेजे जायेंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश—परीक्षा के लिए स्वयं के खर्चे पर उपस्थित होना पड़ेगा।
 - Hall Ticket for entrance test will be issued to eligible candidates only. The applicant should appear for entrance test at his/her own expenses.
- 5. इच्छुक अभ्यर्थीयों को अपना आवेदन प्रपत्र सभी स्वयं-प्रमाणित दस्तावेजों के साथ केवल डाक (स्पीड पोस्ट, कूरियर आदि) या हस्तगत के माध्यम से निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, धन्वन्तरी भवन, मार्ग संख्या—66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली—110026 पर अन्तिम तिथि अर्थात् 15 जनवरी, 2026 तक या उससे पूर्व भेजना होगा। 15 जनवरी, 2026 के बाद प्राप्त कोई भी आवेदन प्रपत्र पर विचार/स्वीकृत नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उसे रद्द/अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
 - Interested candidates will send their application form with all self-attested documents only through Post (Speed Post, Courier etc.) or By Hand to Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Dhanwantri Bhawan, Road No.-66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026 on or before 15th January, 2026. Any application form received after 15th January, 2026 will not be considered and will be rejected without any intimation.
- 6. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र उपरोक्त पते पर भेजने से पहले राआवि की वेबसाइट पर दिए गए गूगल फार्म को भर कर जमा करें अन्यथा उनका आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के रह कर दिया जाएगा।
 - Candidates are to be informed that they must have to submit their Google Form which is available on official website of RAV before sending the application form through post on above address otherwise their application form will be rejected without any intimation.
- 7. अभ्यर्थियों को अपना जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हो एवं वर्तमान सत्र अर्थात वित्तीय सत्र 2025—26 के वैद्य हो। यदि अभ्यर्थी अपना ऐसे जाति प्रमाण—पत्र भेजते हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है एवं उपरोक्त वित्तीय सत्र के लिए वैद्य न हो, तो उन्हे एक सामान्य अभ्यर्थी के अंतर्गत माना जाएगा, यदि वह पात्र हों तो, और कोई अन्य मौका/लाभ उन्हें अद्यतन प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने हेतु नहीं दिया जाएगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अपने प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे जो कि वित्तीय सत्र 2025—26 के लिए निर्धारित जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।
 - Candidates have to submit their caste certificate which is only approved by Government of India and must be valid for the current year i.e. financial year 2025-26. If candidates send their such caste certificate which is approved by State Government and not valid for the financial year 2025-26 then they will be considered under General Candidate, if he/she eligible, and no other chance/benefit will be given them to submit their updated certificate and <u>Economically Weaker Sections</u> have to submit their certificates which is approved by prescribed issuing authority for the financial year 2025-26.
- 8. अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश—पत्र केवल व्यक्तिगत विवरण भर कर आवेदन—पत्र के साथ भेजना होगा अर्थात सिवाय आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक और परीक्षा केन्द्र को भरें बिना।
 - Candidates have to send their Admit Card along with Application form containing the personal details <u>except Application No.</u>, <u>Roll No. and Examination Centre.</u>

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ RASHTRIYA AYURVEDA VIDYAPEETH रा.आ.वि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी)

लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र सत्र 2026-27 Admit Card for Written Test for the Session 2026-27

आवेदन क्रमांक / Applicat	tion No.			अनुक्रमांक / Roll No	
परीक्षा तिथि / Exam Date	उपस्थित होने का समय/I	Reporting Time	प्रवेश बंद होने का र	नमय / Entry Closing Time	
25/01/2026	11:00 AM		11:40 AM		
अभ्यर्थी का नामः Candidate's Name:		लिंगः Gender:		कृपया अपना नवीनतम कलर पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चिपकाएं और नीचे बॉक्स में अपना	
जन्म तिथिः Date of Birth:	वर्गः Categor	y:	हस्ताक्षर करें। Kindly paste your recent colour passport		
आधार नं.:* Aadhar No.:*				Photograph and Sign in the below column.	
वर्तमान पताः Present Address:					
परीक्षा का दिन / समय Date/Time of examination o परीक्षा केन्द्र / Examination	,	01:40 PM)			
* अभ्यर्थी को अपने साथ र प्रवेश करने की अनुमति नहीं	उसका / उसकी मूल अद्यतन टी जाएगी।	आधार कार्ड ला	ना आवश्यक है। इस	के बिना उन्हें परीक्षा भवन	

Candidates must have to bring his/her original updated Aadhar Card without which he/she will not be permitted to enter into the examination hall.

> नोटः परीक्षा संबंधी विस्तृत निर्देश अगले पृष्ठों पर देखें। Note: Please see the detailed instructions on next page.

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश / INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

- 1. अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश—पत्र आवेदन—पत्र के साथ व्यक्तिगत विवरण भर कर भेजना होगा अर्थात सिवाय आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक और परीक्षा केन्द्र के प्रविष्टि को भरे बिना।
 Candidates have to send their Admit Card along with Application form duly filled their personal information except Application No., Roll No. and Examination Centre.
- 2. परीक्षा—भवन / कक्ष में प्रवेश लेने के लिए, अभ्यर्थी को अपने साथ प्रवेश—पत्र और अद्यतन आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने साथ उपरोक्त दस्तावेज लेकर नहीं आता है तो उसे परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त भी किया जा सकता है।

 Candidate must bring Admit Card and updated Aadhar Card with him/her to secure admission hall/room to the examination. If a candidate fails to bring above documents, he/she would not be admitted in the examination centre and his/her candidature could be cancelled.
- 3. अभ्यर्थी को अपना बाल—पैन (केवल नीला अथवा काला रंग) अपने साथ लाना अनिवार्य हैं। Candidate must bring his/her own Ball pen (Blue or Black only).
- 4. आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम के सभी विषयों में से एकल प्रत्युत्तर बहु—विकल्प वाले 100 प्रश्नों का एक प्रश्न—पत्र होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न—पत्र एक अंक का होगा। परीक्षा की अविध एक घंटा चालीस मिनट का है। There shall be one paper consisting of 100 Single Response Multiple Choice Questions from all subjects of BAMS course. Each question carries one mark. The duration of test will be one hour & 40 minutes.
- 5. क्योंकि कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिए जायेंगे, अतः अभ्यर्थी सभी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। Since there is no negative marking, candidate may attempt all the questions.
- 6. उत्तर—पुस्तिका में कहीं भी कुछ अतिरिक्त नहीं लिखा जाना चाहिए। There should not be any extra writing on answer-sheets.
- 7. किसी तरह की नकल नहीं होनी चाहिए। अगर अभ्यर्थी इस प्रकार कदाचार करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे प्रवेश परीक्षा के लिए अयोग्य माना जायेगा।

 There should not be copying of any kind. The candidates found indulging in malpractices will be disqualified.
- 8. किसी भी स्थिति में प्रवेश—परीक्षा की उत्तर—पुस्तिका की छानबीन / पुनः मूल्यांकन की अनुमित नहीं होगी।
 No Scrutiny/Revaluation of the answer book of the entrance test shall be allowed on any ground.
- 9. अभ्यर्थियों को प्रवेश—पत्र और आधार कार्ड के अतिरिक्त कोई भी अन्य प्रकार का कागज (पेपर) परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमित नहीं है।

 The candidates should not possess any paper except Admit-Card and Aadhar Card in the examination.



राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, धन्वन्तरी भवन, मार्ग संख्या-66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026 दूरभाष संख्याः 011-41681265; ई-मेलः gsp-ravdl@gov.in

पाठ्यक्रम विवरणिका (प्रोस्पैक्ट्स)

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा पूर्ण वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है। यह रजिस्ट्रार सोसाइटीज दिल्ली प्रशासन द्वारा ११ फरवरी, १९८८ को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम-१८६० के २१ के अन्तर्गत पंजीकृत है और यह धन्वन्तरी भवन, मार्ग संख्या-६६, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-११००२६ में कार्य कर रहा है।

यह विद्यापीठ आयुर्वेद के क्षेत्र में विख्यात विद्वानों एवं विशेषज्ञों/चिकित्सकों को गुरु के रूप में नियुक्त करता है और ''गुरु शिष्य परम्परा'' की पारम्परिक पद्धति के अन्तर्गत पाठ्यक्रम चलाता है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.)

सी.आर.ए.वी. कोर्स के बारे में: राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, सफलतापूर्वक बी. ए.एम.एस. डिग्री प्राप्त किये हुए आयुर्वेद चिकित्सकों को व्यक्तिगत प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए आयुर्वेद में प्रमाण पत्र का आयोजन कर रही है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने सर्वविदित आयुर्वेद चिकित्सकों का सचिबद्ध करता है जिन्हें संबंधित विशेषता में 20 वर्षों से अधिक का अभ्यास है। सफल हुए छात्रों को 'गुरु शिष्य परम्परा' के माध्यम से इन गुरुजनों के पास नियुक्त किया जाएगा जहां छात्र संबंधित विशेषता में ज्ञान व प्रशिक्षण का लाभ लेगें। पाठयक्रम के सफल समापन के अंत में, छात्रों को प्रमाण पत्र (सी.आर.ए.वी.) प्रदान किया जाएगा। जिन नैदानिक विशिष्टताओं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. के 1. कायचिकित्सा २. स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र ३. क्षारसूत्र ४. मर्म चिकित्सा भग्न और अस्थि चिकित्सा 6. शालाक्य (नेत्र रोग) 7. शालाक्य (दंत रोग) एवं इस प्रकार की अन्य नैदानिक विशिष्टताएं गुरुओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। बी.ए.एम.एस स्नातक जिन्हें भेषज्य कल्पना और औषधि निर्माण में रुचि है उनकी नियुक्ति उन प्रतिष्टित गुरुओं के पास की जाएगी जिनके पास आयुर्वेदिक औषधि निर्माण हेतु सुविधा होगी। इस पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष के लिए है जिसमें छात्रों को गुरु के निर्देशों के अनुसार संबंधित विशेषता में नैदानिक और अन्य कर्तव्यों में भाग लेना होता है। छात्रों को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के लिए किए गए कार्यों की मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होता है। उन्हे गुरु/रा.आ.वि. द्वारा दिये गए विषय पर एक विशेष शोध निबंध भी लिखना होता है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ छात्रों को अध्ययन के दौरान शिक्षा और जीवन यापन की लागत को पूरा करने के लिए शिक्षावृत्ति प्रदान करता है। रा.आ.वि. द्वारा गुरु का आवंटन प्रवेश परीक्षा में छात्रों की योग्यता, 250 किमी की दूरी और उसका/उसकी गुरु के चुनाव के आधार पर किया जाएगा। **छात्रों को यह समझना चाहिए कि सी.आर.ए.वी. एक शिक्षण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है ना कि एक नौकरी या रोजगार, इसलिए, शिक्षावृत्ति को वेतन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।**

छात्रों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आइ.एम.सी.सी. अधिनियम, 1970 के तहत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सी.सी.आइ.एम.)/भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) अधिनियम, 2020 द्वारा आयोजित किसी भी पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं है।

प्रशिक्षणः इस पाठ्यक्रम में चिकित्सा कार्य में लगे हुए देश के विभिन्न भागों के प्रतिष्ठित कर्माभ्यासरत वैद्यों/विद्वानों के मार्गदर्शन में आयुर्वेद चिकित्सा कर्माभ्यास (क्लिनिकल प्रैक्टिस) और आयुर्वेद औषधालय (आयुर्वेद फार्मेसी) का प्रशिक्षण शामिल है।

आवश्यक योग्यताः

पात्रताः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आई.एम.सी.सी.) अधिनियम, 1970/एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किसी संस्थान/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय से **आयुर्वेदाचार्य** (वी.ए.एम.एस.) की उपाधि हो।

आयु सीमाः (दिनांक 25-01-2026 के अनुसार)ः आयुर्वेद में स्नातकों के लिए अधिकतम 30 वर्ष (जन्म 25-01-1996 से पूर्व न हो) और आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों के लिए 32 वर्ष (जन्म 25-01-1994 से पूर्व न हो)। तथापि, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 03 वर्ष की छूट दी जायेगी (अर्थात् स्नातक को 25-01-1993 तथा स्नातकोत्तर अभ्यर्थी का जन्म 25-01-1991 से पूर्व न हो) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 05 वर्ष (अर्थात् स्नातक को 25-01-1991 तथा स्नातकोत्तर अभ्यर्थी का जन्म 25-01-1989 से पूर्व न हो)। सरकार द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों (केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों) के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी (जन्म 25-01-1991 से पूर्व न हो)। शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी को 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

पाठ्यक्रम की अवधिः एक वर्ष

शिक्षावृत्तिः शिष्यों को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के शासी निकाय द्वारा तय और समय-समय पर संशोधित मासिक शिक्षावृति का भुगतान किया जायेगा। (लगभग शिक्षावृत्ति रूपये 56,477/- प्रति माह है)

<u>आरक्षणः</u> समय-समय पर प्रचलित केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार उपलब्ध कुल रिक्तियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) एवं शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित स्थानों के नियमों को कार्यान्वित किया जायेगा। आरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार के नियम लागू होंगे। आरक्षण के मामले में, अभ्यर्थियों को अपना प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के लिए जारी किया जाता है। <u>केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के वैद्य/मान्य होना चाहिए।</u>

सरकार से प्रायोजित अभ्यर्थियों (स्थायी चिकित्सा अधिकारियों) के लिए आरक्षण उपलब्ध है। प्रायोजित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की शिक्षावृत्ति देय नहीं होगी और यह अतिरिक्त अभ्यर्थी के रूप में रहेंगे। वर्ष में कुल उपलब्ध रिक्तियों में से आरक्षण 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और एक गुरु के पास इस तरह के एक शिष्य से अधिक नहीं लिया जायेगा।

आवेदक प्रवेश लेने से पूर्व कृपया दिए गए निदेशों को ध्यान से पढ़ें।

प्रवेश के पूर्व के निर्देशः

- इच्छुक अभ्यर्थीयों को अपना आवेदन-पत्र केवल डाक (स्पीड पोस्ट, कूरियर आदि) या हस्तगत के माध्यम से निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, धन्वन्तरी भवन, मार्ग संख्या-66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026 पर अन्तिम तिथि अर्थात् 15 जनवरी, 2026 तक या उससे पूर्व भेजना होगा।
- अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र उपरोक्त पते पर भेजने से पहले राआवि की वेबसाइट पर दिए गए गूगल फार्म को जमा और आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करें अन्यथा उनका आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जाएगा।
- 3. सामान्य, पीएच, ईडब्लूएस एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश शुल्क ₹ 2,000/-+18% जीएसटी = ₹ 2,360/- और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹ 1,000/-+18% जीएसटी = ₹ 1,180/- हैं। एकबार जमा किया गया प्रवेश शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
- 4. अभ्यर्थियों को राआवि की वेबसाइट पर दिए गए भुगतान लिंक के माध्यम से ही उपरोक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। अभ्यर्थियों को

यह भी सुझाव दिया जाता है कि वे रसीद को डाउनलोड/प्रिंट करने से पहले सफल लेनदेन संख्या नोट कर लें या उसका स्क्रीनशॉट कर लें।

- 5. **उम्मीदवारों को भुगतान की रसीद आवेदन पत्र के साथ भेजना होगा**। भुगतान रसीद निम्नलिखित प्रकृति का हो सकता है:-
 - 'लेनदेन संदर्भ संख्या' को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए शुल्क की सफल हस्तांतरण रसीद का स्क्रीनशॉट।
 - बैंक पासबुक की स्क्रीनशॉट/फोटोकॉपी स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए शुल्क के लेनदेन का विवरण।
- 6. केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें, जो 'गुरु शिष्य परम्परा' के अधीन प्रशिक्षण लेने के इच्छुक हैं। सफल अभ्यर्थी, जिन्होंने पहले से ही सीआरएवी पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है वे फिर से आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- 7. पाठ्यक्रम का अध्ययन एवं प्रशिक्षण विशेष रूप से **"गुरु शिष्य परम्परा"** के अन्तर्गत होगा, जिसमें शिष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे गुरुजनों के स्थान के समीप अपने आवास तथा भोजन इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करें।
- 8. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि गुरुजनों की वरीयता सावधानीपूर्वक दें। अभ्यर्थियों का चयन उनकी योग्यता, 250 किमी की दूरी तथा गुरुजनों को दी गयी वरीयता के आधार पर किया जाएगा। एक बार गुरु आंवटित होने के पश्चात् किसी भी रूप/स्थिति में अभ्यर्थी का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
- 9. स्थानीय शिष्यों जिनका (स्थायी पता/वर्तमान पता/जन्म स्थान), गुरुजनों के स्थान से 250 कि.मी. से कम हो, उन्हें ऐसे गुरुजनों के अधीन प्रवेश देने हेतु विचार नहीं किया जायेगा। शिष्यों को इस संबंध में अपने स्थायी, वर्तमान और मूल निवास पतों का स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र देने होंगे।
- 10. सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम 2026-27 के लिए सूचीबद्ध गुरुजनों तथा संस्थाओं के नाम बाद में दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो सभी सूचीबद्ध गुरु तथा संस्था का वरीयता के आधार पर क्रमांकन करें। अभ्यर्थी वरीयता के क्रम में कुल गुरुजनों की कितनी भी संख्या/सभी का विकल्प दे सकते हैं।
- 11. यह पूर्णकालीन पाठ्यक्रम है और शिष्यों को कोई निजी कर्माभ्यास (प्राइवेट प्रैक्टिस) या किसी प्रकार का व्यवसाय/रोजगार, किसी अन्य प्रकार का प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम इत्यादि करने की अनुमति नहीं है।
- 12. लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने या चयन पश्चात् प्रशिक्षण में प्रवेश लेने के लिए यात्रा या दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

- 13. **यह पाठ्यक्रम केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (सी.सी.आई.एम.) द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं,** यह पाठ्यक्रम आयुर्वेद स्नातकों की ज्ञानवृद्धि के लिए तैयार किया गया है ताकि वे बेहतर चिकित्सक/विद्वान बन सकें।
- 14. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को यह स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि रोजगार दिलाने या पाठ्यक्रमों को भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् (सी.सी.आई.एम) द्वारा मान्यता प्रदान करवाने की जिम्मेदारी विद्यापीठ/गुरु की नहीं है।
- 15. जो अभ्यर्थी गुरु के सगे संबंधी (पित या पत्नी/बच्चे/भाई/बहन या उनके संबंधी) हैं, उनका इस पाठ्यक्रम में उसी गुरु के अधीन शिष्य के रूप में चयन नहीं किया जायेगा। आवश्यक होने पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
- 16. केवल वही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए पात्र समझे जायेंगे, जिन्होंने इन्टर्निशप 25.01.2026 तक या उससे पहले पूर्ण कर ली हो।
- 17. परीक्षा भवन के अन्दर किसी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक मद जैसे मोबाइल फोन, पेन-ड्राइव या किसी भी अन्य उपकरण पूर्णतया प्रतिबन्धित हैं। अगर कोई अभ्यर्थी इन उपकरणों को रखते हुए पाया गया तो उन्हें प्रवेश परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।

प्रवेश की विधिः

- 1. शिष्यों का चयन, लिखित परीक्षा पर आधारित होगा।
- 2. आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम के सभी विषयों से एकल उत्तर वाले 100 बहुविकल्प प्रश्नों वाली लिखित परीक्षा ली जायेगी। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। अधिकतम अंक 100 होंगे और परीक्षा की अविध 01 घंटा 40 मिनट होगी।
- क्योंकि कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिये जायेंगे, अतः अभ्यर्थी सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।
- 4. लिखित परीक्षा का मूल्यांकन ओ.एम.आर. शीट (इलैक्ट्रानिक माध्यम्/कम्प्यूटर) से किया जायेगा। अपूर्ण अथवा गलत तरीके से भरी गई उत्तर पुस्तिका अमान्य होगी और इसका उत्तरदायी प्रार्थी होगा। अपने उत्तर अंकित करने (भरने) के लिए केवल नीली या काली स्याही वाले बॉल पोइन्ट पेन का ही प्रयोग करें। अन्य सभी रंग प्रतिबन्धित हैं। पेंसिल का प्रयोग नहीं करें।
- 5. यदि किसी गुरु विशेष के लिए अभ्यर्थियों के बराबर अंक आते हैं तो मानदण्ड के लिए उम्र को लिया जायेगा और वरिष्ठता में जन्म तिथि को प्राथमिकता दी जायेगी।

- 6. **लिखित परीक्षा की तिथि एवं समयः <u>रविवार, 25 जनवरी, 2026</u> <u>अपराह्व 12:00 बजे हैं।</u> उम्मीदवारों को 11:00 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रस्तुत होना होगा और उन्हे किसी भी कीमत पर 11:40 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
- 7. लिखित परीक्षा का स्थलः
 - i. नई दिल्ली
 - ii. जयपुर (राजस्थान)
 - iii. वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
 - iv. अहमदाबाद (गुजरात)
 - v. पुणे (महाराष्ट्र)
 - vi. बेंगलुरु (कर्नाटक)
 - vii. त्रिशूर (केरल)

प्रवेश के बाद निबंधन एवं शर्तेः

- 1. चयन किए गए अभ्यर्थियों को, स्वयं का एक बन्ध-पत्र (बॉन्ड) रुपये 100/- मूल्य के गैर अदालती स्टाम्प पेपर पर (निर्धारित प्रारूप पर) दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) /राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा (केवल नोटरी से अभिप्रमाणित प्रमाणपत्र मान्य नहीं है)। शिष्यों को प्रवेश से पूर्व लेकिन चयन पश्चात् स्वस्थता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रवेश लेने के एक महीने के भीतर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करनी आवश्यक होंगी। एक निर्धारित अविध के भीतर अगर समस्त औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई तो अभ्यर्थियों का प्रवेश बिना किसी विचार के तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा।
- इस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना और परीक्षा उत्तीर्ण करना शामिल है।
- शिष्यों को प्रशिक्षण के दौरान मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रिकार्ड भेजने होंगे, जैसा उनके चयनपत्र में उल्लेखित होगा।
- 4. शिष्यों की उपिरथिति तथा अपेक्षित अध्ययन–िरपोर्ट/िरकार्ड आगामी महीने की 10वें तारीख तक प्राप्त होने के उपरान्त प्रत्येक महीने शिष्यों की शिक्षावृत्ति जारी की जायेगी।
- 5. गुरु को पाठ्यक्रम के प्रत्येक दूसरे महीने शिष्य की परीक्षा आयोजित कर उसका मूल्यांकन करना होगा कि वह अन्तिम परीक्षा तक पाठ्यक्रम जारी रखने का इच्छुक है अथवा नहीं यदि मूल्यांकन संतोषजनक होगा तो शिष्य को पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दी जायेगी अन्यथा शिष्य को पाठ्यक्रम छोड़ना होगा और 12 प्रतिशत ब्याज की दर से प्राप्त शिक्षावृत्ति वापस करनी होगी।

- 6. शिष्यों की लिखित व मौखिक रूप से अन्तिम परीक्षा उस स्थान में ली जायेगी जहां राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ निर्णय लेगा।
- 7. शिष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे गुरु के अधीन अध्ययन करते समय समुचित अनुशासन बनाये रखें और अपने अध्ययन पर अधिकतम समय लगाएं।
- 8. यदि शिष्य निर्धारित अविध में पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करता है या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पूर्व बीच में ही अध्ययन छोड़ देता है या विद्यापीठ के नियमों का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप रा.आ.वि. द्वारा उसका शिष्यत्व समाप्त कर दिया जाता है, तो उसे रा.आ.वि. से प्राप्त शिक्षावृत्ति की सम्पूर्ण धनराशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करनी होगी। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि इस शर्त में किसी भी मामले में छूट नहीं दी जायेगी।
- 9. यह आवश्यक है कि शिष्य अपने गुरु के मार्ग-दर्शन में सप्ताह में छः दिन, प्रतिदिन कम से कम आठ से दस घंटे के अध्ययन/प्रशिक्षण ग्रहण करें, जिसके लिए उसे निर्धारित प्रारूप में दैनिक-डायरी तैयार करनी होगी ।
- 10. केवल पाठ्यक्रमों में भाग लेने या शिष्य की सुविधा अनुसार गुरु से मिलने से ही प्रयोजन पूरा नहीं होता। शिष्यों को एकाग्र होना चाहिए और अपने गुरु से विषय/विशिष्टता सीखने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए।
- 11. यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कोई गुरु प्रशिक्षण काल में सेवा कार्य से निवृत्ति लेते हैं या रा.आ.वि. उस गुरु की सेवाएं नहीं चाहता तो शिष्य को किसी अन्य गुरु के अधीन उसी विषय में जहां रिक्त स्थान उपलब्ध हो, स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। शिष्य को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 12. शिष्य, रविवारीय (साप्ताहिक अवकाश) एवं राजपत्रित अवकाश के अितरिक्त एक वर्ष में कुल 15 दिन के अवकाश के हकदार होंगे, जिसमें त्यौहार/ऋतु कालीन अवकाश (ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु आदि) सिम्मिलित होगा। यदि शिष्य द्वारा अतिरिक्त अवकाश लिया जाता है तो उस अविध के लिए कोई शिक्षावृत्ति नहीं दी जायेगी। अवकाश अविध से पहले और उसके बाद आने वाली छुट्टियां और रविवार छोड़ दिये जायेंगे। परन्तु अवकाश अविध के बीच में आने वाली छुट्टियां और रविवार छोड़
- 13. सभी आकिस्मिक अवकाश को एक साथ नहीं लिया जा सकता है। बिना पूर्व अनुमतित के कई दिनों तक छुट्टी लेना नियमों का उल्लंधन माना जाएगा। शिष्य प्रति माह 1.5 दिन की छुट्टी ले सकते हैं या वे इन छुट्टियों को भविष्य के लिए संचित कर सकते हैं और आवश्यकता

अनुसार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुल छुट्टियाँ 04 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- 14. आकिस्मिक अवकाश का उपयोग केवल आपातकालीन या आवश्यक कारणों (जैसे स्वास्थ्य समस्याएँ या पारिवारिक आपात स्थितियाँ) के लिए ही किया जाए। व्यक्तिगत कार्य, पर्यटन या आराम के लिए ली गई छुट्टियों को मान्यता नहीं दी जाएगी।
- 15. अवकाश के लिए पूर्व अनुमति सहित आवेदन पत्र देना अनिवार्य है (आपात स्थिति को छोड़कर)।
- 16. अवकाश नीति के गलत उपयोग या अनिधकृत अनुपस्थित पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें शिक्षावृत्ति में कटौती, सीआरएवी पाठ्यक्रम से हटाना, या अन्य उपयुक्त कदम शामिल हो सकते हैं।
- 17. उत्तीर्ण होने वाले सभी शिष्यों को निर्धारित परिधान में प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होना आवश्यक होगा।
- 18. शिष्य अपने पाठ्यक्रम के दौरान अन्य संस्थाओं द्वारा अपने विषय से सम्बन्धित किसी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी/कार्यशाला में भाग ले सकते हैं। लेकिन इसका खर्च रा.आ.वि. द्वारा नहीं उठाया जायेगा।
- 19. शिष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यापीठ द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता व अनुशासन हेतु समय-समय पर संशोधित किए गए/बनाये गए नियमों एवं विनियमों का पालन करें।
- 20. उपरोक्त नियमों और विनियमों के परिणाम स्वरूप यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह दिल्ली की स्थानीय अदालतों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) के शिष्यों के लिए अन्तिम मूल्यांकन का तरीकाः

रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सीआरएवी) के जिन शिष्यों ने अपने प्रशिक्षण का एक वर्ष पूरा कर लिया है, उनका अन्तिम मूल्यांकन निम्नलिखित मापदण्ड पर आधारित होगा। रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र दिया जाना निवल मूल्यांकन पर निर्भर होगा, जिसमें मूल्यांकन के सभी अलग-अलग संघटक शामिल होंगे।

किसी अभ्यर्थी को प्रमाणपत्र तभी मिलेगा, जब वह मूल्यांकन के सभी घटकों में समेकित रूप से संतोषजनक स्तर प्राप्त करेगा। ऐसा न होने के मामले में अभ्यर्थी से न्यूनत्तम एक महीने की अवधि के बाद पुनः परीक्षा देने के लिए कहा जायेगा। इस अवधि के दौरान यदि वह प्रशिक्षण का इच्छुक है और गुरु भी उसे प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो वह सम्बन्धित केन्द्र में अपना प्रशिक्षण जारी रख सकता है, परन्तु उसे यह प्रशिक्षण अपने खर्चे पर लेना होगा और रा.आ.वि. इस अवधि के लिए कोई शिक्षावृत्ति नहीं देगा।

मूल्यांकन संघटकः

- 1. आन्तरिक मूल्यांकन
- 2. सिद्धान्त (थ्योरी) परीक्षा
- 3. मोनोग्राफ (विशेष निबन्ध)
- 4. विशेष रोगीवृत्त/औषध रिपोर्ट (स्पेशल केस/औषध रिपोर्ट)
- 5. मौखिक परीक्षा

1. आन्तरिक मूल्यांकन

यह सम्बन्धित सी.आर.ए.वी प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा किया जायेगा। यह मूल्यांकन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्त में किया जायेगा और वह सी.आर.ए.वी प्रशिक्षण के बाद सी.आर.ए.वी पाठ्यक्रम के शिष्य में पायी गई गुणात्मक सुधार के बारे में समग्र मूल्यांकन देगा।

2. सिद्धान्त (थ्योरी) परीक्षा

सी.आर.ए.वी के सभी शिष्यों का पाठ्यक्रम पूरा हो जाने पर उनके लिए तीन घंटे की वर्णनात्मक परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रश्न मुख्य रूप से उनके विशिष्ट प्रशिक्षण के क्षेत्र पर केन्द्रित होंगे, तथापि, आयुर्वेद अथवा उनकी विशेषज्ञता से सम्बन्धित कुछ सामान्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।

3. मोनोग्राफ (विशेष निबन्ध)

सी.आर.ए.वी के प्रत्येक शिष्य से उसके गुरु/प्रशिक्षण प्रभारी के परामर्श से उसके प्रशिक्षण की अन्तिम तिमाही में विशेष रोग दशा/चिकित्सा प्रक्रिया/औषधि–योग आदि पर मोनोग्राफ प्रस्तुत करने के

लिए कहा जाता है। इस मोनोग्राफ में नवीनता होनी चाहिए और यह समसामयिक आयुर्वेद कर्माभ्यास के सन्दर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए।

4. विशेष रोगीवृत्त/औषध रिपोर्ट (स्पेशल केस/औषध रिपोर्ट)

सी.आर.ए.वी के प्रत्येक शिष्य से उसके गुरु/प्रशिक्षण प्रभारी के परामर्श से उसके प्रशिक्षण की अन्तिम तिमाही में एक विशेष नैदानिक अवस्था आदि के संबंध में विशेष रोगी वृत्त/औषध रिपोर्ट (स्पेशल केस/औषध रिपोर्ट) प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। इस विशेष रोगीवृत्त/औषध में असाधारण टिप्पणी/नवीनता होनी चाहिए और यह समसामयिक आयुर्वेद कर्माभ्यास के सन्दर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। यह केस/औषध रिपोर्ट एक विशेष दशा के उपचार के लिए विशेष उपचार बताने पर केन्द्रित होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में उस विशेष दशा/औषध के लिए एक खास उपचार/औषध चुनने की प्रासंगिकता पर भी विचार-विमर्श किया जाना चाहिए तथा यह बताया जाना चाहिए कि इस रोग की रोग निदान सम्बन्धित नैदानिक निर्णय कैसे लिया गया।

5. मौखिक परीक्षा

सी.आर.ए.वी के प्रत्येक शिष्य के लिए सिद्धान्त परीक्षा के बाद मौखिक परीक्षा होगी। यह मौखिक परीक्षा बाह्य एवं आन्तरिक विशेषज्ञों के पैनल द्वारा ली जायेगी। इस मौखिक परीक्षा का उद्देश्य शिष्य के शास्त्र सम्बन्धी ज्ञान को ज्ञान के व्यावहारिक रूप से उपयोग करने की योग्यता का मूल्यांकन करना है जो आयुर्वेद के नैदानिक कर्माभ्यास में लाभदायक हो।



RASHTRIYA AYURVEDA VIDYAPEETH

(NATIONAL ACADEMY OF AYURVEDA)

An Autonomous organization under Ministry of Ayush, Govt. of India Dhanwantri Bhawan, Road No.-66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026 Phone No.: 011- 41681265; E-mail: gsp-ravdl@gov.in

PROSPECTUS

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth is an autonomous organization and fully funded by the Ministry of Ayush, Govt. of India, New Delhi. It is registered under Societies Registration Act XXI of 1860 with the Registrar Societies, Delhi Administration on 11th February, 1988 and functioning at Dhanwantari Bhawan, Road No. 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi–110026.

The Vidyapeeth appoints renowned scholars and experts/practitioners in the field of Ayurveda as Gurus and runs courses under traditional method of 'Guru Shishya Parampara'.

Prospectus for Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV)

About the CRAV Course: The Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth is conducting the certificate course in Ayurveda for the purpose of providing additional hands on training to the Ayurvedic doctors having successfully completed the BAMS degree course. For this purpose the Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth has identified well known Ayurveda practioners having more than 20 years of practice in the concerned specialty. The successful students shall be posted with these Gurus where the students will gain the knowledge and training about the concern specialty through the method of 'Guru Shishya Parampara'. At the end of successful completion of the course, the students will be awarded the certificate (CRAV). The clinical specialties in which the training would be provided include 1. Kayachikitsa 2. Stree Roga and Prastuti Tantra 3. Ksharsutra 4. Marma Chikitsa 5. Bhagna and Asthi Chikitsa 6. Shalakya (Netra Roga) 7. Shalakya (Danta Roga) and such other clinical specialties depending upon availability of the gurus. The BAMS graduates interested in Bhaishjaya Kalpana and Aushadhi Nirman are posted with the reputed gurus having the facility of Ayurvedic Drug manufacturing. The duration of the course is one year during which the students have to attend the clinical and other duties in the concerned specialty as per the directions of the guru. The students have to submit Monthly and Quarterly Report of the work done to the Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. They also have to write one dissertation on the subject given by Guru/RAV.

The Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth provides stipend to the students to meet the cost of education and living during the course of study. The allocation with the Gurus shall be done by the RAV depending upon the merit of the students in the entrance examination, 250 km distance and his/her Gurus' choice. The students must understand that the CRAV course is an education and training course and not a job or employment, therefore, the stipends should not be considered as salary.

The students should also keep in mind that this certificate course has no linkage with any course conducted by Central Council of Indian Medicine (CCIM) under IMCC Act, 1970/National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) Act, 2020.

<u>Training</u>: This course involves training in clinical practices and Ayurvedic Pharmacy under the guidance of eminent practicing Vaidyas/Scholars in different parts of the country.

Essential Qualification:

Eligibility: BAMS (Ayurvedacharya) degree from any institution and university included in 2nd schedule of IMCC Act-1970/NCISM Act 2020.

Age limit: (As on 25-01-2026): Maximum 30 years for graduates (not born before 25-01-1996) and 32 years for Post graduates (not born before 25-01-1994). However, 03 years relaxation will be given for OBC candidates (not born before 25-01-1993 for graduates and for Post graduates not born before 25-01-1991) and 05 years for ST/SC (not born before 25-01-1991 for graduates and for Post graduates not born before 25-01-1989). Upper age limit will be 35 years for Government sponsored candidates (permanent medical officers working in Central/State Government (not born before 25-01-1991). Additional 05 years relaxation will be given to Physically Handicapped candidates.

Duration of course: One year.

<u>Stipend</u>: Students will be paid a monthly stipend as decided by Governing Body of RAV and amended from time to time. (Approximate stipend is **Rs. 56,477/- per month**)

Reservation: Reservation of seats to SC, ST, OBC, Economically Weaker Sections (EWS) and Physically Handicapped (PH) candidates will be implemented for total number of vacancies available as per government policy prevalent from time to time. Central government rules on reservation will be applicable. In case of reservation, candidates have to submit their certificate which is issued as per Government of India guidelines application for Central Government. Only Central Government Approved Certificate will be accepted and must be valid for the current year i.e. financial year 2025-26.

Reservation for Government Sponsored candidates (Permanent Medical Officers) is available. Sponsored candidates will not be paid any stipend and these are supernumerary in nature. This reservation will not exceed 10% of the total number of vacancies available in that year and not more than one such student under one Guru.

APPLICANT MUST READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE FILLING UP THE APPLICATION FORM FOR ADMISSION

Instructions before Admission:

- 1. Interested candidates shall send their application through only Post (Speed Post, Courier etc.) or By Hand to Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Dhanwantri Bhawan, Road No.-66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026 on or before 15th January, 2026.
- 2. Candidates are informed that they shall submit and attach their Google Form which is available on official website of RAV before sending the application form through post on above address otherwise their application form will be rejected without any intimation.
- 3. Examination Fee is ₹ 2000/- +18% GST = ₹ 2,360/- for General, PH, EWS & OBC candidates and ₹ 1000/- + 18% = ₹ 1,180/- for SC/ST candidates to be paid. Application Fee once paid shall not be refunded under any circumstances.
- 4. Candidates shall have to pay the said fee only through the payment link given on RAV website. Candidates are also suggested to note the successful Transaction No. and take a Screenshot before downloading/printing the receipt.
- 5. <u>Candidates must attach payment receipt with the Application Form</u>. Payment receipt can be of the following nature:
 - Screen shot of successful transfer receipt of the fee indicating 'transaction reference number' clearly.
 - Screen shot / photocopy of bank passbook indicating clearly the transaction details of the fee.
- 6. Only those candidates, who wish to undergo training under Guru Shishya Parampara, may apply. Those who have already completed CRAV Course cannot apply again.
- 7. The study and training of the course will be specifically under "Guru Shishya Parampara" wherein the Shishyas are required to make their own arrangements of lodging & boarding etc. near the place of Gurus.
- 8. The candidates are requested to give the preference for their gurus carefully. The selections would be based on the basis of Merit, 250 km distance and the Preferences given for respective gurus. Once allocated the Guru, the transfer from one training centre to another would not be entertained in any case/condition.

- 9. The local students (permanent address/present address/nativity) of 250 kms or below from the place of guru will not be considered under such gurus. The students need to furnish proof of permanent, present address and nativity under self-certification. While giving choice of gurus the students should consider this point.
- 10. Names of the Empanelled Gurus and Institutions for CRAV course 2026-27 will be given later. The students are requested to make an order of preference in reference to all empanelled gurus and Institutions. The student applicants may opt any/all number of gurus in order of preference.
- 11. The course is on full time basis and Shishyas are not allowed to do any private practice, any type of business/job or any other training/course etc.
- 12. No TA/DA will be paid to the candidates appearing for written test or for joining the training after selection.
- 13. **The course is not recognized by CCIM**. The course has been designed to enhance the knowledge of Ayurveda graduates/postgraduates to make them better doctors/scholars.
- 14. Before applying for admission, it should be kept clearly in mind that Vidyapeeth/Guru owns no responsibility for providing employment or to get the course recognized by CCIM.
- 15. Those who are related to the Guru (relatives of self/spouse/children/ brothers/sisters of guru) will not be selected as Shishya for the Course under the same guru. A declaration of this effect may require to be submitted in this case.
- 16. Candidates who have completed **internship on or before 25.01.2026** are eligible to appear for Entrance Test.
- 17. Any kind of electronic item like- mobiles, pen drive or any other gadgets are strictly prohibited inside the examination hall, and any candidate found possessing these items will be debarred from Admission test.

Method of Admission:

- 1. Selection of students is based on Written Test.
- 2. There will be a Written Test of 100 single responses multiple choice questions (SRMCQ) from subjects of BAMS course. Each question carries one mark and the maximum marks are 100 and the duration of test will be 01 hour & 40 minutes.
- 3. Since there is no negative marking the candidates may attempt all questions.
- 4. Assessment of Written Test is done through OMR (computer) sheets. Invalidation of Answer Sheet due to incomplete/incorrect filling of the answer sheet will be the sole

- responsibility of the candidate. Please use only Blue or Black Ball point pen to mark (darken) your answers. Pens with any other colour are not allowed. Do not use pencil.
- 5. In case of equal marks of candidates for a particular guru, the age will be taken into criterion and seniority by Date of Birth will be given preference.
- 6. **Date & Time of Written Test:** Sunday, 25th January, 2026 at 12:00 p.m. Candidate shall be presented at centre by 11:00 a.m. and they will not be permitted to enter in the examination centre at any cost after 11:40 a.m.

7. Venue for Written Test:

- i. New Delhi
- ii. Jaipur (Rajasthan)
- iii. Varanasi (Uttar Pradesh)
- iv. Ahmedabad (Gujarat)
- v. Pune (Maharashtra)
- vi. Bengaluru (Karnataka)
- vii. Thrissur (Kerala)

Terms & Conditions after admission:

- 1. Selected candidates shall have to submit a Bond by self in the prescribed format on non-judicial stamp paper worth Rs. 100/- duly certified by any Magistrate/Gazetted Officers (Only notary certify will not be valid). Students are also required to submit Fitness Certificate after selection. The admitted students have to complete these formalities within one month after admission. If they fail to submit within the prescribed time limit, the admission will be cancelled forthwith without any consideration.
- 2. The course includes receiving training and passing the examination.
- 3. The students are required to send the monthly, quarterly and annual records during their training period as specified in their selection letter.
- 4. Stipend will be released every month on receipt of the attendance of Shishyas and required study report/record of the patients by 10th day of following month.
- 5. Guru will conduct the assessment of student every two months of course whether the student is keen to continue the course till final examination. If the assessment is satisfactory then the student will be allowed to continue the course. Otherwise shishya will have to leave the course and refund the received stipend along with interest of 12%.
- 6. The Final examination of the students i.e. Written & Viva Voce will be held at a place decided by RAV.

- 7. The Shishyas are expected to maintain proper discipline while studying under Guru and to devote maximum time on their study.
- 8. If the Shishya fails to complete the course within the duration or leaves the study in between before passing of course or his/her studentship is terminated by the RAV consequent upon violation of rules of Vidyapeeth, he/she has to refund the full amount of stipend, which was received from RAV together with 12% interest thereon. This condition shall not be relaxable in any case, which may be ensured by the candidates before applying for the course.
- 9. The student is required to study/ take training six days a week with a minimum of 8-10 hours study per day under the guidance of Guru, for which daily diary has to be prepared by each student on the prescribed formats.
- 10. Mere attending the course or visiting the Guru as per convenience of the Shishya does not serve the purpose at all. The Shishya should be attentive and keen to learn the subject/specialties from the Guru.
- 11. If due to some unavoidable circumstances a Guru retires during the course or the RAV does not require the services of that Guru, the student will be transferred under another Guru of same subject, where vacancy is available. The student shall have no right to object.
- 12. The students are entitled, in addition to gazetted holidays & Sundays (weekly off), for 15 days leave in a year, including festival/seasonal vacations (summer, winter etc.). For any additional leave, if availed of by the student, no stipend shall be payable for that period. The holidays and Sundays prefixing and suffixing to leave period will be excluded. But the holidays and Sundays coming in between the leave period will also be counted as leave.
- 13. CLs cannot be taken together at once. Taking an extended number of days off without prior approval will be treated as a violation of the policy. The students can avail 1.5 days leave per month or they can accumulate the leaves and avail the same in future as per their need/requirement but not exceeding 04 days in total.
- 14. Leaves must be taken only for genuine reasons such as medical emergencies or urgent family matters. Use of CLs for personal convenience, vacations, or outings will not be entertained.
- 15. An appropriate leave application must be submitted in advance (except in emergencies), and approval from the concerned authority is mandatory.
- 16. Any misuse of the CL policy or unauthorized absence will lead to strict disciplinary action, which may include deduction of stipend, discontinuation from CRAV Course, or other suitable measures.
- 17. All passed-out students shall have to attend the Convocation for receiving certificates in prescribed dress code.

- 18. The student can be permitted to take part in any one National seminar/workshop organized by other institutions related to his/her subject during the course. But, no expenses shall be borne by RAV.
- 19. The student shall be required to follow the rules and regulations amended/framed by the Vidyapeeth for improvement in the quality of training and discipline, from time to time.
- 20. Any dispute arising out of any of the inference from aforesaid rules and regulations subject to the jurisdiction of Courts at Delhi.

Final Assessment Method for CRAV Students:

The final assessment for CRAV students who have completed their training of one year would be based upon following parameters. The award of CRAV would be based upon the net assessment comprising of all individual components of assessment.

To enable the candidate to get the award, a satisfactory status in all components of evaluation is required. In case of inability to do so, the candidate would be asked to appear in the examination again after a minimum period of one month. During this time if he desires so and if the guru also desires so, he can continue his training at the respective centre but at his own expense and RAV shall not give any stipend for this period.

Assessment Components:

- 1. Internal Assessment
- 2. Theory Examination
- 3. Monograph
- 4. Special Case/Drug report
- 5. Viva voce

1. Internal Assessment:

This would be done by the in-charge of the training at respective CRAV training centres. The assessment would be done at the end of the course and would give an overall assessment about the qualitative improvements observed in CRAV student after the CRAV training.

2. Theory Examination:

A three hour descriptive examination would be conducted for all CRAV students upon their completion of course. The questions would be mainly focusing upon the area of their specialized training however some general questions pertaining to Ayurveda or their specialty may also be asked.

3. Monograph:

Every CRAV student, in consultation with his guru / training in-charge, is asked to submit a monograph in the last quarter of their training, on a particular disease condition/procedure/formulation etc. This monograph should contain the component of novelty and relevance in reference to the contemporary practice of Ayurveda.

4. Special Case/Drug report:

Every CRAV student, in consultation with his guru / training in-charge, is asked to submit a special case/drug report in the last quarter of their training, on a particular clinical condition etc. This special case/drug report should contain the component of unusual observations/novelty and relevance in reference to the contemporary practice of Ayurveda. The focus of the case/drug report should be on establishing a particular regimen for treating a particular condition which resulted in high response. The report should also discuss the relevance of choosing a particular regimen for the given condition and how the clinical judgment was arrived referring to pathological state of the disease.

5. <u>Viva Voce:</u>

Following the theory examination, there would be a viva voce for every CRAV student. A panel of external and internal experts may take up the viva voce. The purpose of viva voce is to assess the ability of the student to translate the textual knowledge into a practically useful format of knowledge useful in clinical practice of Ayurveda.